

## अपार्टमेंट होटलों के अनुमोदन एवं वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के लिए दिशा-निर्देश

होटल किसी भी स्थान में पर्यटक की यात्रा का एक अखंड हिस्सा है तथा उनके द्वारा दी जा रही सेवाएं यात्रा को पूर्ण बना सकती हैं। अपार्टमेंट होटल, व्यावसायिक यात्रियों में लोकप्रिय बनता जा रहा है, जो कुछ कार्यों के लिए परिवार की छुट्टियों आदि हेतु भारत में आते हैं और कभी-कभी लगातार कुछ महीनों तक ठहरते हैं। पर्यटकों को आदर्श, विश्वस्तरीय सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पास निम्नलिखित वर्गों में पूर्णतः चालू अपार्टमेंट होटलों के वर्गीकरण हेतु एक स्वैच्छिक योजना है:—

### पांच सितारा डीलक्स, पांच सितारा, चार सितारा और तीन सितारा श्रेणी

होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति (एचआरएसीसी) सुविधाओं एवं प्रदान की जा रही सेवाओं के आधार पर होटलों की जांच एवं मूल्यांकन करती है।

ऊपर उल्लिखित सभी श्रेणियों में परियोजना के कार्यान्वयन के चरण में परियोजना को मंजूरी भी दी जाती है।

भारत तथा विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के द्वारा विश्वव्यापी प्रचार मिलने के साथ-साथ सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किए गए विभिन्न छूटों एवं सुविधाओं के लिए वर्गीकृत अपार्टमेंट होटल/अनुमोदित परियोजनाएं पात्र हैं।

निर्धारित मानदंड और अपेक्षित दस्तावेज के ब्यौरे इस दस्तावेज में दिए गए हैं।

अपार्टमेंट होटलों के वर्गीकरण एवं परियोजना के अनुमोदन के लिए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन निम्न को भेजे जाएं:—

सदस्य सचिव (एचआरएसीसी)/होटल एवं रेस्तरां प्रभाग,  
पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार,  
सी-1, हटमेंट्स, डलहौजी मार्ग, नई दिल्ली-110011

# होटलों के परियोजना स्तर पर परियोजना के अनुमोदन एवं वर्गीकरण के लिए सामान्य शर्तें, निबंधन और आवेदन प्रारूप

## परियोजना स्तर पर अनुमोदन

1. पर्यटन मंत्रालय प्रलेखन के आधार पर परियोजना चरण में अपार्टमेंट होटलों को अनुमोदन प्रदान करता है, जो होटलों को सरकार की ओर से समय-समय पर घोषित किये जाने वाले निश्चित लाभ हासिल करने में मदद देती है। परियोजना के लिए अपेक्षित दस्तावेज नीचे सूचीबद्ध हैं।
2. परियोजना का अनुमोदन 5 वर्षों के लिए वैध है। होटल के सभी कमरे तैयार नहीं भी हुए हों तो भी पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना स्वीकृति होटल के चालू होने की तारीख के तीन माह बाद समाप्त हो जाती है। होटल वर्गीकरण के लिए इन तीन महीनों के भीतर निश्चित रूप से आवेदन दें।
3. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार दिशा-निर्देशों/शर्तों एवं निबंधनों में समय-समय पर फेरबदल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
4. आवेदन प्रपत्र निम्न को कवर करता है।
  - i. अपार्टमेंट होटल का प्रस्तावित नाम
  - ii. प्रमोटर्स के पूर्व वृत्त व्यवसाय पर टिप्पणी के साथ उनके नाम
  - iii. प्रमोटर्स का संपूर्ण डाक पता/दूरभाष/फैक्स/ईमेल
  - iv. मालिकों/प्रमोटर्स की स्थिति
    1. यदि सार्वजनिक/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ज्ञापन तथा सहभागिता के अनुच्छेद की प्रतियां।
    2. अगर साझेदारी है, तो साझेदारी विलेख तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।
    3. अगर स्वामित्व संस्था है तो मालिक का नाम और पता/पंजीकरण प्रमाणपत्र।
  - v. डाक पते के साथ अपार्टमेंट होटल स्थल का स्थान
  - vi. स्थल का विवरण
    1. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
    2. बिक्री/पट्टा विलेख की प्रतियों के साथ नाम-निजी/पट्टा
    3. स्थानीय अधिकारियों से जमीन के उपयोग के परमिट की प्रति
    4. रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, मुख्य खरीददारी केंद्रों से दूरियां (कि.मी. में)
  - vii. परियोजना का विवरण
    1. व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रति
    2. नियोजित सितारा श्रेणी
    3. सभी प्रकार के कमरों के लिए कमरे की संख्या तथा क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)

4. अटैच्ड बाथरूम की संख्या तथा क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)।
  5. सार्वजनिक स्थानों का विवरण-लॉबी/लाऊज, रेस्तरां, बार, शॉपिंग, बैंकट/कांफ्रेंस हॉल, हेल्थ क्लब, स्वीमिंग पूल, पार्किंग सुविधाएं।
  6. शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सुविधाएं।
  7. इको-फ्रेंडली व्यवहार तथा अन्य कोई अतिरिक्त सुविधाएं। (ऊपर बताए गए 5, 6 तथा 7 में कृपया सभी सुविधाओं के लिए क्षेत्रफल वर्ग फीट में दर्शाएं)
  8. परियोजना पूर्ण होने और चालू होने की संभावित तारीख।
- viii. निम्नलिखित को दर्शाते हुए मालिकों और ऑर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षरित ब्लूप्रिंट/स्केच प्लान:
1. साइट प्लान
  2. साइट की ऊंचाई के फ्रंट प्लान
  3. सभी मंजिलों के लिए फ्लोर प्लान
  4. वर्गफुट में लंबाई-चौड़ाई के साथ गेस्ट रूम तथा बाथरूम का ब्यौरा
  5. अग्निशमन उपायों/हाइड्रेंट आदि का ब्यौरा
  6. ऊर्जा संरक्षण और जल हार्वेस्टिंग करने के उपायों के ब्यौरे
- ix. अतिथि गृहों, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए वातानुकूलन संबंधी ब्यौरे
- x. निम्नलिखित के द्वारा स्थानीय अनुमोदन
1. नगर प्राधिकरण
  2. संबंधित पुलिस अधिकारी
  3. आवश्यकतानुसार अन्य स्थानीय प्राधिकारी
  4. हवाई अड्डों के पास स्थित परियोजनाओं के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- उपर्युक्त उल्लिखित अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की जिम्मेदारी प्रमोटरों/संबंधित कम्पनी, जैसा भी मामला हो, की है। किसी प्रकार के सांविधिक अनुमोदन के स्थान पर विभागीय अनुमोदन का प्रयोग नहीं किया जा सकता तथा किसी प्रकार के उल्लंघन होने की स्थिति में प्राप्त अनुमोदन कोई भी नोटिस दिए बिना वापस लिया जा सकता है।
- xi. प्रस्तावित मूल ढांचा
1. कुल परियोजना लागत
    - क) प्रदत्त पूंजी के ब्यौरे के साथ इक्विटी घटक
    - ख) ऋण-निधिकरण के चालू और प्रस्तावित स्रोत
- xii. नियंत्रक स्थितियों के स्वीकृति-पत्र

- xiii. कृपया यह सूचित करें कि क्या प्रमोटर कुछ कमरे या सारे कमरे समय पर शेयर आधार पर देना चाहता है।
- xiv. आवेदन शुल्क

5. परियोजना प्लान में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में अनुमोदन के लिए फिर से मांग करनी होगी।
6. पर्यटन मंत्रालय के प्राधिकृत अधिकारियों को पूर्व अनुमति के बिना समय-समय पर परिसर के निरीक्षण के लिए निःशुल्क प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए।
7. अपार्टमेंट होटल विभाग को यथाशीघ्र यह सूचित करेगा होटल किस तारीख को चालू होगा और इस तारीख के तीन महीनों के भीतर उसके वर्गीकरण के लिए आवेदन करेगा।
8. परियोजना स्वीकृति तथा बाद के विस्तारीकरण के लिए, अगर जरूरत हो तो, भुगतान किए जाने वाले शुल्क निम्न प्रकार से हैं।

अपार्टमेंट होटलों की सितारा श्रेणी	राशि ₹ में
5-सितारा	15,000
4-सितारा	12,000
3-सितारा	8,000

9. प्रमोटर प्रत्येक तिमाही के लिए नियमित प्रगति रिपोर्ट भेजें, ऐसा नहीं करने पर परियोजना का अनुमोदन वापस किया जायेगा।
10. आवेदन के समय सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए तथा राजपत्रित अधिकारी या नोटरी, विभाग को भेजी जा रही प्रतियों को विधिवत रूप से प्रमाणित करें। स्थानीय भाषाओं में दस्तावेजों के अंग्रेजी/राजभाषा में अनुवाद होने चाहिए और विधिवत रूप से प्रमाणित होने चाहिए।
11. ऐसी परियोजनाएं, जहां समय सहभागिता के आधार पर संपूर्ण होटल या एक भाग को किराए पर देने का प्रस्ताव है, अनुमोदन के लिए पात्र होंगे।
12. श्रेणी में किसी प्रकार के बदलाव के लिए प्रमोटर आवेदन किए जाने वाले श्रेणी के लिए नए आवेदन पत्र तथा निर्धारित शुल्क के साथ फिर से आवेदन करें।
13. परियोजना प्लानों अथवा प्रबंधन में किसी प्रकार के बदलाव की जानकारी 30 दिनों के भीतर पर्यटन विभाग/क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय (3, 2 तथा 1 सितारा श्रेणियों, 5-डी, 5, 4 सितारा तथा हैरिटेज श्रेणियों के लिए) को दी जानी चाहिए नहीं तो मंजूरी वापस/निरस्त समझी जाएगी।
14. अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
15. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पास समय-समय पर दिशा-निर्देशों/शर्तों एवं निबंधनों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

## अपार्टमेंट-होटल वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण दिशा-निर्देश

1. नए प्रचालित हुए अपार्टमेंट होटलों के लिए वर्गीकरण अनुमोदित अपार्टमेंट होटल परियोजनाओं के पूर्ण होने के 3 महीने के भीतर मांगे जाने चाहिए। प्रचालित अपार्टमेंट होटल वर्गीकरण के लिए किसी भी चरण पर इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। तथापि, पुनर्वर्गीकरण चाहने वाले अपार्टमेंट होटल की वर्गीकरण की वर्तमान अवधि के समाप्त होने से एक वर्ष पूर्व पुनर्वर्गीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
2. अगर अपार्टमेंट होटल वर्गीकरण आदेश के समाप्त होने से एक वर्ष पूर्व पुनः आवेदन नहीं देते हैं, तो आवेदन को नये वर्गीकरण मामले के रूप में माना जाएगा।
3. एक बार अगर अपार्टमेंट होटल वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के लिए आवेदन देता है, तो उसे एचआरएसीसी द्वारा निरीक्षण के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। निरीक्षण को स्थगित करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. वर्गीकरण, आदेश जारी होने की तिथि से 5(पांच) वर्ष तक वैध होंगे अथवा पुनः वर्गीकरण के मामले में यदि सभी वैध दस्तावेजों के साथ ऊपर बताए गए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन स्वीकार किए गए हों तो पिछले वर्गीकरण के समाप्त होने की तिथि से मान्य होंगे। अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
5. ऐसे अपार्टमेंट होटलों, जो कुछ हिस्से या अपने सभी कमरे टाइम-शेयर आधार पर किराए पर देने का प्रस्ताव रखते हैं, वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे।
6. वर्गीकरण हेतु आवेदन करने वाले अपार्टमेंट होटल निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:—
  - क. आवेदन पत्र के साथ विवरण
    - i. अपार्टमेंट होटल का नाम
    - ii. प्रमोटर/मालिकों उनके व्यापार पर पूर्ववृत्त के साथ नाम तथा पता
    - iii. दूरभाष नं./फैक्स/ईमेल के साथ अपार्टमेंट होटल का संपूर्ण डाक पता
    - iv. मालिकों/प्रमोटर की अवस्थिति
      1. यदि सार्वजनिक/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ज्ञापन तथा सहभागिता के अनुच्छेदों की प्रतियों विलेख
      2. यदि साझेदारी है तो साझेदारी विलेख तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति।
      3. यदि स्वामित्व संस्था है, तो मालिक का नाम और पता/पंजीकरण
    - v. अपार्टमेंट होटल के चालू होने की तिथि
    - vi. होटल की हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/शहरी केन्द्र/डाउन टाउन शॉपिंग क्षेत्रों से दूरी (कि.मी. में) के ब्यौरे

vii. होटल का विवरण

1. बिक्री/लीज डीड की प्रतियों के साथ नाम निजी/पट्टे के साथ क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
2. स्थानीय प्राधिकरणों से जमीन उपयोग करने के परमिट की प्रति
3. सितारा श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है।
4. डबल कमरों की संख्या तथा प्रत्येक श्रेणी के कमरे का क्षेत्रफल (सिंगल/सूट्स) वर्ग फीट में।
5. अटैच्ड बाथरूम की संख्या।
6. सार्वजनिक स्थानों का विवरण - लॉबी/लाउंज, रेस्तरां, बार, शॉपिंग क्षेत्र, बैंकट/कांफ्रेंस हॉल, स्वास्थ्य क्लब, स्विमिंग पूल, पार्किंग सुविधाएं, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सुविधाएं, इको-फ्रेंडली व्यवहार तथा अन्य अतिरिक्त सुविधाएं प्रत्येक सुविधा के लिए क्षेत्रफल वर्ग फीट में दर्शाए गए हों।
7. वर्ग फीट में लंबाई-चौड़ाई के साथ अतिथि कक्ष और बाथरूम के विवरण।
8. अग्नि शमन उपायों/नलों इत्यादि के विवरण।
9. ऊर्जा संरक्षण तथा वाटर हार्वेस्टिंग एवं अन्य इको-फ्रेंडली उपायों और पहल के विवरण।
10. अतिथि कक्षों, सार्वजनिक स्थानों के लिए वातानुकूलन का विवरण।

viii. प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रतियां)

- क) आपके प्रतिष्ठान को एक होटल के रूप में पंजीकृत दिखाने के लिए नगरपालिका/निगम से प्रमाण-पत्र/लाइसेंस
- ख) होटल को चलाने का अधिकार देने के लिए संबंधित पुलिस विभाग से प्रमाण-पत्र/लाइसेंस
- ग) स्वच्छता/स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके प्रतिष्ठान को क्लीयरेंस देने के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक से क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र
- घ) अग्निशमन व्यवस्थाओं के संबंध में अग्नि सेवा विभाग (स्थानीय फायर ब्रिगेड प्राधिकारियों) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- ङ) सार्वजनिक देनदारी बीमा
- च) बार लाइसेंस (सिर्फ 4\*, 5\* तथा 5\* डी के लिए आवश्यक)
- छ) मुद्रा विनियम लाइसेंस (सिर्फ 4\*, 5\* तथा 5\* डी के लिए आवश्यक)
- ज) स्वीकृत भवन योजना/स्वामित्व प्रमाण-पत्र
- झ) अगर पहले वर्गीकृत हुआ हो, तो पूर्व में "पर्यटन विभाग द्वारा जारी वर्गीकरण प्रमाण-पत्र" की एक प्रति
- ञ) पैतृक संपत्ति के लिए, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संपत्ति के उम्र को बताता हुआ तथा नए एवं पुराने निर्मित क्षेत्रों को अलग से दर्शाता हुआ प्रमाण-पत्र
- ट) कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी जैसा अपेक्षित हो।

- ठ) हवाई अड्डों के निकट स्थित परियोजनाओं के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण से अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- ड) कृपया दर्शाएं यदि कुछ कमरे या सभी कमरे टाइम शेयर के आधार पर किराए पर दिए जाने हैं
- ढ) आवेदन शुल्क

ऊपर बताए गए अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र मालिकों/प्रमोटरों/संबंधित कंपनी की जिम्मेदारी है, जैसा भी मामला हो। विभाग का अनुमोदन किसी सांविधिक अनुमोदन का विकल्प नहीं है तथा दिया गया अनुमोदन किसी उल्लंघन या तथ्यों को गलत रूप से रखने के मामले में बिना किसी नोटिस के वापस नहीं लिया जाएगा।

7. वर्गीकरण या पुनः वर्गीकरण के लिए सभी आवेदन हर तरह से पूरा होना चाहिए अर्थात आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क, निर्धारित क्लियरेंस, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र आदि अधूरा आवेदन निरस्त होने के लिए जिम्मेवार होगा।
8. होटल के फ्लोर एरिया का कम से कम 50% सन् 1935 से पहले निर्मित हो गया हो और उसमें उसके पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, तभी वह होटल हेरिटेज होटल के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होगा। होटल, जिन्हें इन्हें इन दिशा-निर्देशों के जारी होने से पहले हेरिटेज श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया हो और यदि वे सन् 1935-1950 के बीच निर्मित हुए हों तो उनका परिचालन जारी रहेगा।

देय आवेदन शुल्क निम्नलिखित होगा

सितारा श्रेणी	रूपये में वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण शुल्क
1-सितारा	6,000
2-सितारा	8,000
3-सितारा	10,000
4-सितारा	15,000
5-सितारा	20,000
5-सितारा डीलक्स	25,000
हेरिटेज (ग्रैंड, क्लासिक एवं हेरिटेज श्रेणियां)	15,000

9. वर्गीकरण समिति में निम्न शामिल होंगे:—

क) 4\*, 5\* एवं 5\*-डीलक्स और हेरिटेज श्रेणी के लिए अध्यक्षता अध्यक्ष (एचआरएसीसी) या उनके प्रतिनिधि द्वारा एफएचआरएआई/एचएआई/आईएटीओ/टीएआई/आईएचएम स्थानीय भारत पर्यटन कार्यालय के प्रतिनिधि/सदस्य सचिव समिति के अन्य सदस्यों का गठन करेंगे। हेरिटेज श्रेणी के मामले में आईएचएचए के प्रतिनिधि समिति के एक सदस्य होंगे।

ख) 1\*, 2\* और 3\* सितारा के लिए समिति की अध्यक्षता संबंधित राज्य सरकार के सचिव या उनके नामिती द्वारा की जायेगी जो भारत सरकार के उप-सचिव रैंक से नीचे के अधिकारी न हों।

उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्रीय निदेशक, भारत पर्यटन जो क्षेत्रीय एचआरएसीसी के सदस्य सचिव भी हैं, समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन सिफारिशों को 3 सप्ताह के भीतर एचआरएसीसी (पर्यटन विभाग, भारत सरकार) को भेजा जाएगा। अन्य सदस्य एफएचआरएआई/आईएटीओ/टीएएआई/आईएचएम के प्रतिनिधि होंगे।

ग) अध्यक्ष तथा कोई भी 3 सदस्य एक कोरम का गठन करेंगे।

घ) कार्यवृत्त अध्यक्ष (एचआरएसीसी) द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

ङ) एचआरएसीसी के निर्णय से किसी प्रकार की असंतुष्टि के मामले में होटल वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के संबंध में सूचना प्राप्त के 30 दिनों के भीतर समीक्षा तथा पुनर्विचार हेतु सचिव (पर्यटन), भारत सरकार के पास अपील कर सकते हैं। इस अवधि के बाद किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. होटल दो चरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाएंगे—

क) संलग्न जांच सूची के तहत सुविधाओं एवं सेवाओं को उपलब्धता का मूल्यांकन किया जायेगा।

i. अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु पर्यावरण अनुकूल व्यवहारों एवं सुविधाओं को अपनाने के लिए नई परियोजनाओं की जरूरत होगी।

ii. वर्गीकृत किये जा रहे विद्यमान होटलों की अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए इको-फ्रेंडली व्यवहारों को लागू करने हेतु एक चरणबद्ध योजना बनाने की आवश्यकता होगी जिसे 31 दिसम्बर, 2003 तक पूरा हो जाना चाहिए।

ख) सुविधाओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन अंक तालिका से किया जाएगा।

11. होटल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हमेशा अपेक्षित स्तर को बनाये रखें। वर्गीकरण समिति बगैर सूचित किए किसी भी समय होटल का निरीक्षण कर सकती है। समिति यह अनुरोध कर सकती है कि सेवाओं के स्तर की जांच के लिए सदस्यों के एक रात ठहरने की व्यवस्था की जाए।

12. एचआरएसीसी द्वारा बताई गई कोई कमियां/संशोधन, जो जांच के दौरान होटल के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श से आवंटित की गई हैं उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

13. समिति आवेदित वर्ग से एक सितारा वर्ग नीचे निर्दिष्ट कर सकती है, लेकिन ऊपर निर्दिष्ट नहीं कर सकती है।

14. अपार्टमेंट होटल समिति को यह विश्वास दिलाए कि वे ऊर्जा संरक्षण तथा जल संरक्षण, कचड़ा विनियोजन एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के मानकों के अनुसार निपटान/रिसाइकलिंग और ऐसे ही अन्य इको-फ्रेंडली उपायों के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं।

15. सितारा श्रेणी हैरिटेज श्रेणी में किसी प्रकार के बदलाव के लिए प्रमोटर आवेदन किए जा रहे श्रेणी के लिए नए आवेदन पत्र एवं निर्धारित शुल्क के साथ नए सिरे से आवेदन दें।

16. होटल की योजनाओं या प्रबंधन में किसी बदलाव की सूचना एचआरएसीसी, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय, को 30 दिनों के भीतर दी जानी है, अन्यथा, वर्गीकरण वापस/निरस्त माना जाएगा।



17. आवेदकों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले इस दस्तावेज में दिए गए सुविधाओं एवं सेवाओं की जांच सूची को ध्यानपूर्वक देखें।
18. अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। वर्गीकरण के सभी मामलों को आवेदन दिए जाने के तीन महीनों के भीतर अन्तिम रूप दिया जाएगा।
19. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पास दिशा-निर्देशों/शर्तों एवं निबंधनों को समय-समय पर संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।



## शपथ-पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

सचिव (पर्यटन)  
भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
नई दिल्ली

### शपथ-पत्र

मैंने 1\*/2\*/3\*/4\*/5\*/5\*-डी/हैरिटेज श्रेणी के होटलों के परियोजना अनुमोदन/वर्गीकरण/के संबंध में उपर्युक्त सभी शर्तों एवं निबंधनों को पढ़ और समझ लिया है और एतद्वारा उन्हें मानने के लिए सहमत हूँ। जहां तक मेरी जानकारी है, दी गई सूचना सही और अधिप्रमाणित है।

हस्ताक्षर और बड़े अक्षरों में नाम  
आवेदक की मुहर

स्थान :

तारीख :

## सितारा श्रेणी के होटलों के लिए जांच सूची

	1*	2*	3*	4*	5*, 5* -डी	हां/नहीं	टिप्पणियां
<b>सामान्य</b>							
मुख्य रूप से अस्थाई, पूर्णकालिक प्रचालन सत्र में, एक सप्ताह में 7 दिन	एन	एन	एन	एन	एन		होटल ब्लॉक में वाणिज्यिक उपयोग के लिए अधिकाधिक 10 प्रतिशत कमरे या स्थानीय कानून के अनुसार। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए कम से कम सुसज्जित कमरा।
सभी आवश्यक व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए स्थापना	एन	एन	एन	एन	एन		इन दस्तावेजों का पहले ही सामान्य शर्तों एवं निबंधन में विवरण दिया गया है।
सार्वजनिक दायित्व बीमा प्राप्त करने के लिए स्थापना	डी	डी	डी	डी	डी		
भूतल और दो तलों से अधिक की इमारतों के लिए 24 घंटे लिफ्ट	एन	एन			एन		नए होटलों के लिए अनिवार्य। इस स्थिति में शिथिलता स्थानीय कानूनों के अनुसार दी जा सकती है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सुगम पहुंच।
शयनकक्षों, स्नानागारों, सार्वजनिक क्षेत्रों और रसोईघरों की प्रतिदिन सफाई	एन	एन	एन	एन	एन		
सभी फर्शों की प्रतिदिन सफाई तथा अच्छी मरम्मत	एन	एन	एन	एन	एन		फर्श किसी भी प्रकार का हो सकता है।
<b>अतिथि गृह</b>							
किराए पर उठाए जाने वाले कम से कम 10 कमरे। सभी कमरों में बाहरी खिड़कियां वायु संचार सुचारू रूप से हो।	एन	एन			एन		
स्नानकक्ष को छोड़कर, शयनकक्ष का कम से कम आकार वर्ग फीट में।	120	120	140	140	200		एकल अधिभोगिता कमरे 20 वर्ग फीट से कम हो सकते हैं।
वातानुकूल	25%	25%	50%	100%	100%		वातावरण की स्थिति और वास्तुकला पर आधारित वातानुकूलन/गरमी। कमरे का तापमान 20 से 28 डिग्री सी के बीच होना चाहिए। 4*, 5* और 5* डीलक्स के लिए (कमरों की कुल संख्या का प्रतिशत)।

	1*	2*	3*	4*	5*, 5*- डी	हां/नहीं	टिप्पणियां
चादरों, तौलियों को प्रतिदिन और चैक इन के बीच साफ रखकर बदलना	एन	एन	एन	एन	एन		होटल में अतिथियों के आने जाने की प्रक्रिया हो। 1* और 2* के लिए एक दिन के अंतराल में जांच आवश्यक है।
एकल के लिए बिस्तर की चौड़ाई (90 सेमी) दोहरे के (135 सेमी)	डी	एन	एन	एन	एन		
गद्दा कम से कम 10 सेमी मोटा	एन	एन	एन	एन	एन		क्वायर फोम या स्प्रिंग। यदि सूती है तो फोम से ढका हो।
कम से कम 2 शैय्या, तकिया और कवर, कम्बल, गद्दा कवर और बेड कवर	एन	एन	एन	एन	एन		वातानुकूलित कमरों और गैर वातानुकूलित कमरों में मौसम के अनुसार उपलब्ध कम्बल 1* और 2* तथा अन्य के लिए गद्दों के कवर आवश्यक।
प्रत्येक शैय्या पर प्रकाश व्यवस्था	एन	एन	एन	एन	एन		
एक 5, एम्पियर अर्थपावर सॉकेट	एन	एन	एन	एन	एन		
एक बेडसाइड टेबल और ड्रार	एन	एन	एन	एन	एन		दो पर एक और डबल बेड के लिए दो-दो।
टीवी रिमोट-केबल, यदि उपलब्ध हो	एन	एन	एन	एन	एन		
उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ लिखने के लिए स्थान	एन	एन	एन	एन	एन		
कुर्सियां	एन	एन	एन	एन	एन		प्रत्येक बेड के लिए एक
प्रत्येक बेड के लिए कपड़े लटकाने वाले कम से कम 4 हैंगर के साथ वार्डरोब	एन	एन	एन	एन	एन		1 और 2 में ये बिना दरवाजे वाले हो सकते हैं।
शैल्फ और ड्रार स्पेस	एन	एन	एन	एन	एन		
व्यर्थ कागजों के लिए बास्केट	एन	एन	एन	एन	एन		
सभी खिड़कियों पर अपारदर्शी पर्दे और स्क्रीनिंग	एन	एन	एन	एन	एन		
पीने का पानी प्रत्येक अतिथि के लिए कांच का 1 ग्लास	एन	एन	एन	एन	एन		पानी यूवी संसाधित हो फिल्टरेशन आवश्यक है।
एक शीशा, कम से कम आधी लंबाई वाला (3*)	एन	एन	एन	एन	एन		
स्टेशनरी फोल्डर्स जिसमें स्टेशनरी और लिफाफे हों	डी	डी	एन	एन	एन		
एक "डू नॉट डिस्टर्ब" नोटिस			एन	एन	एन		

	1*	2*	3*	4*	5*, 5*-डी	हां/नहीं	टिप्पणियां
नाइट स्ट्रैड/बेडकवर, हर रात में बदलना	एन	एन	एन				
इन रूम सेफ				एन			
मिनीबार/फ्रिज			एन		एन		स्थानीय कानूनों के अनुसार निश्चित करें।
अनुरोध पर आयरन और आयरन बोर्ड				एन	एन		
सूट्स				एन	एन		कम से कम एक के साथ कमरे का 2 प्रतिशत ब्लाक हो।
<b>स्नानगृह</b>							
कमरे के साथ जुड़ा हुआ (निजी) स्नानगृह के साथ कमरे की प्रतिशतता	25%	75%	सभी	सभी	सभी		जुड़े हुए बाथरूम का मतलब, जुड़े हुए से नहीं बल्कि निजी से है।
वर्ग फीट में स्नानगृह का न्यूनतम आकार	30	30	36	36	45		1* और 2* में 25% स्नानगृह पाश्चात्य शैली के हों।
1* और 2* के लिए सामूहिक स्नानगृह, सार्वजनिक क्षेत्रों और रसोई इत्यादि	एन	एन	एनए	एनए	एन		ढक्कन सहित सैनीटरी बिन के साथ सभी बाथरूम, शॉवर्स स्टाल्स ताला लगाने योग्य शौचालय क्षेत्र हो।
प्रत्येक अतिथि के लिए 1 बाथ टॉवल और हैंड टॉवल होना चाहिए	एन	एन	एन	एन	एन		यदि अटैच/डेडिकटेड बाथरूम नहीं है, तो कमरे में उपलब्ध हो
प्रत्येक टायलेट सीट में 1-डब्ल्यूसी ब्रुस	एन	एन					
अतिथि शौचालय में प्रति अतिथि एक नया साबुन हो	एन	एन	एन	एन	एन		जब बाथरूम नहीं है प्रसाधन कमरे में ही उपलब्ध हो।
प्रत्येक बाथरूम शावर रूम में एक कपड़े टांगने वाली खूंटी	एन	एन	एन	एन	एन		
सेनेटरी बिन	एन	एन	एन	एन	एन		जहां सामूहिक बाथरूम है, इसे ढक्कर रखें।
जहां पाश्चात्य शौचालय हो वहां सीट, लिड और टॉयलेट पेपर हो	एन	एन	एन	एन	एन		
फर्श और दीवारें नन पोरोस सर्फेस हो	एन	एन	एन	एन	एन		
24 घंटे गरम और ठंडा पानी उपलब्ध हो	डी	डी	एन	एन	एन		
शावर क्लोजेट	एन	एन	एन	एन	एन		जहां बाथ टब दिए गए हैं, वहां शावर के लिए शावर पर्दा हो।

	1*	2*	3*	4*	5*, 5*-डी	हां/नहीं	टिप्पणियां
बाथ टब				डी	डी		4* होटलों में, अतिथियों के लिए कुछ कमरों में यह सुविधा होनी चाहिए।
वाटर सेविंग टैप्स/शाँवर					एन		
एनर्जी सेविंग लाइटिंग	एन	एन	एन	एन	एन		सार्वजनिक क्षेत्रों में
बोटलड टायलेटरी प्रोडक्ट्स	डी	डी	डी	एन	एन		
हेयरड्रायर्स	डी	डी	डी	एन	एन		जहां बाथरूम में उपलब्ध नहीं है, अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
<b>सार्वजनिक क्षेत्र</b>							
लॉबी क्षेत्र में लाउंज और सीटिंग क्षेत्र	एन	एन	एन	एन	एन		चैक इन करने पर आकार निर्भर करेगा।
स्वागत सुविधा या कॉल अटेंशन के साधन	एन	एन	एन	एन	एन		एक दिन में कम से कम 16 घंटे कर्मचारी उपलब्ध रहे। काल सर्विस 24 घंटे।
<b>सामान्य</b>							
आवास, एफ एण्ड बी और उपलब्ध किराया	एन	एन	एन	एन	एन		
जुड़े हुए सार्वजनिक कमरों में हीटिंग और कूलिंग उपलब्ध हो				एन	एन		तापमान 20-28 डिग्री सेल्सियस के बीच।
महिलाओं और पुरुषों के लिए सार्वजनिक आराम कमरे जिनमें साबुन, स्वच्छ तौलिया, वाशबेसिन जिसमें ठंडा और गरम पानी चलता रहे। शीशा, यूनीसेक्स, और लेडिज टायलेट के साथ सेनेटरी विन।	एन	एन	एन	एन	एन		1* और 2* होटलों में, यह यूनीसेक्स में हो (4 और उसके ऊपर के होटलों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सुविधा हो)।
प्रवेश द्वार पर एंटी स्लिप फ्लोर्स के साथ रैम्प और हैण्डरेल। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 32 इंच हो ताकि व्हीलचेयर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके।	डी	डी	डी	एन	एन		कम से कम एक रेस्टोरेंट में, उपयुक्त टेबल के साथ व्हीलचेयर।
लो-हॉइट-मूत्रालय (अधिकतम '24' इंच) के साथ सार्वजनिक रेस्तरूम	एन	एन	एन	एन	एन		
मूक बधिर लोगों के लिए सुविधाएं	डी	डी	एन	एन	एन		

	1*	2*	3*	4*	5*, 5*-डी	हां/नहीं	टिप्पणियां
<b>खाद्य और पेय पदार्थ</b>							
डायनिंग रूम सेवा, ब्रेक फास्ट और डिनर	डी	एन	एन	एन	एन		खाने का समय दर्शाया जाना चाहिए। सेवा सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 11 बजे के बाद समाप्त हो। खाने का समय कम से कम। कोनटिनेटल हो। बिना डायनिंग रूम के 1* होटल के कमरों में सेवा उपलब्ध हो।
परिसर में पर मल्टी कुयीन रेस्टोरेंट	डी	डी	एन	एन	एन		
रेस्टोरेंट			डी	एन	एन		
24 घंटे काफी शाप			डी	एन	एन		
डायनिंग रूम में सभी 3 भोजन की पूरी सुविधा	डी	डी	डी	एन	एन		
पका हुआ ब्रेकफास्ट उपलब्ध हो	डी	एन	एन	एन	एन		
पूरे भोजन की रूम सेवा		एन			एन		1* होटल में, यह आवश्यक है यदि डायनिंग रूम नहीं है। 3 हल्का भोजन की पेशकश करें (प्री प्लेटेड)।
मदिरा पेय की रूम सर्विस	एन	एन	एन	एन	एन		यदि स्थानीय कानूनों द्वारा अनुमति हो।
क्रोकरी और ग्लास सेवा जिस पर चिप्पी न लगी हो।	एन	एन	एन	एन	एन		पूल एरिया में यह प्लास्टिक वेयर भी स्वीकार्य है।
कटलरी जो कम से कम स्टेनलेस स्टील की हो	एन	एन	एन	एन	एन		पूल एरिया में यह प्लास्टिक की भी स्वीकार्य है।
सिल्वरवेयर					एन		5* डीलक्स होटलों स्पेस्टलिटी रेस्तराओं में आवश्यक
बार				एन	एन		यदि स्थानीय कानूनों द्वारा अनुमति हो
<b>किचन्स</b>							
डीप फ्रीज के साथ रेफरिजरेट्र	एन	एन	एन	एन	एन		एफएण्डबी सर्विस के साइज पर आधारित क्षमता
मांस, मछली एवं सब्जियों की अलग-अलग स्टोरेज	एन	एन	एन	एन	एन		मांस और मछली फ्रीजों में। सब्जियां अवश्य अलग होनी चाहिए।
टाइल्ड दीवारें, नॉन-स्लिप फर्श	एन	एन	एन	एन	एन		
मांस, मछली एवं सब्जियों की अलग-अलग स्टोरेज	एन	एन	एन	एन	एन		
प्रोडक्शन स्टाफ के लिए हेड कवरींग	एन	एन	एन	एन	एन		

	1*	2*	3*	4*	5*, 5* -डी	हां/नहीं	टिप्पणियां
फर्शों की दैनिक कीटाणु नाशक सफाई	एन	एन	एन	एन	एन		
साफ बर्तन	एन	एन	एन	एन	एन		
प्रोडक्शन स्टाफ के लिए छमाही चिकित्सा जांच	एन	एन	एन	एन	एन		
सभी फूड ग्रेड उपकरण, कन्टेनर	एन	एन	एन	एन	एन		
वैटिलेशन सिस्टम	एन	एन	एन	एन	एन		
सभी किचन स्टाफ के लिए फस्ट-एड ट्रेनिंग	एन	एन	एन	एन	एन		
पेय जल	एन	एन	एन	एन	एन		यूवी फिल्ट्रेशन के साथ ट्रीट किया गया जल स्वीकार्य
कचरा अलग-अलग करना - गीला और सूखा	एन	एन	एन	एन	एन		रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन देना
3* से 5* डीलक्स श्रेणियों के लिए गीले कूड़े कचरे का क्षेत्र वातानुकूलित करना			एन	एन	एन		
रिसिविंग और स्टोर स्वच्छ होने चाहिए और कूड़े कचरे के क्षेत्र से अलग होना चाहिए	एन	एन	एन	एन	एन		
<b>स्टाफ क्वालिटी</b>							
हाऊस के फ्रंट के लिए स्टाफ यूनिफार्म	एन	एन	एन	एन	एन		यूनिफार्म स्वच्छ और अच्छी हालत में होनी चाहिए।
अंग्रेजी बोलने वाला फ्रंट ऑफिस स्टाफ			एन	एन	एन		इसमें महानगरों/उपनगरों के बाहर छूट दी जा सकती है।
कर्मचारियों का प्रतिशत जिनके पास सरकारी मान्यता प्राप्त केटरिंग/होटल संस्थानों से न्यूनतम एक वर्ष का प्रमाण-पत्र है	10%	15%	20%	25%	30%		इसमें ग्रामीण, तीर्थ एवं पहाड़ी क्षेत्रों में होटलों के लिए छूट दी जा सकती है।
<b>कर्मचारी कल्याण/सुविधाएं</b>							
कर्मचारी विश्राम कक्ष	डी	डी	एन	एन	एन		
कर्मचारी लॉकर कक्ष	डी	डी	एन	एन	एन		
शौचालय सुविधाएं	एन	एन	एन	एन	एन		
डाइनिंग एरिया	डी	डी	डी	एन	एन		
<b>अतिथि सेवाएं</b>							
वेलेट (प्रेसिंग) सेवाएं उपलब्ध हैं	डी	एन	एन	एन	एन		



	1*	2*	3*	4*	5*, 5*-डी	हां/नहीं	टिप्पणियां
लॉट्री एंड ड्राइक्लीन की सेवाएं	डी	डी	डी	एन	एन		अगले दिन सेवाएं दी जा सकती हैं। रिजोर्ट गंतव्य, हिल, ग्रामीण और तीर्थ वाले क्षेत्र में ड्राइक्लीन की सेवाओं में छूट दी जाए।
बुलाने पर पेड ट्रांसपोर्टेशन	डी	डी	एन	एन	एन		अतिथि को होटल से यात्रा की सुविधा होनी चाहिए।
शूज क्लीनिंग सर्विस			एन	एन	एन		शुल्क ली जाय 4*, 5*/5-डीलक्स के लिए कॉरिडोर में शू क्लीनिंग मशीनें स्वीकार्य हैं।
मंगाने पर बर्फ (पीने के पानी से)	डी	डी	एन	एन	एन		अतिथियों के लिए सुलभ आइस मशीनें स्वीकार्य। 4*, 5*/5*-डीलक्स के लिए कॉरिडोर में रखी जाये।
कॉमन क्रेडिट कार्ड की स्वीकार्यता	डी	डी	एन	एन	एन		
अनुरोध पर सामान के साथ सहायता	डी	डी	एन	एन	एन		
परिसर में एक पब्लिक टेलीफोन यूनिट चार्ज बताए जाएं	डी	डी	एन	एन	एन		कम से कम एक टेलीफोन होना चाहिए। 5*/5* डीलक्स सितारा में फर्श के स्तर से 24 इंच से ऊंचा न हो।
अनुरोध पर वेकअप कॉल सर्विस	एन	एन	एन	एन	एन		
अतिथियों के लिए संदेश रिकार्ड कीजिए और डिलीवर किया जाये।	एन	एन	एन	एन	एन		1* और 2* के लिए प्रमुख रूप से प्रदर्शित मैसेज बोर्ड पर्याप्त होगा।
फ्रंट डेस्क में डाक्टरों के नाम, पते और टेलीफोन नं.	एन	एन	एन	एन	एन		3*, 4*, 5*, 5*-डीलक्स में डॉक्टर कॉल पर उपलब्ध हों।
स्टैम्प तथा मेलिंग सुविधाएं	डी	डी	एन	एन	एन		
समाचार पत्र की उपलब्धता	एन	एन	एन	एन	एन		1*, 2* और 3* होटलों के लिए ये लॉज में रखे जायें।
ट्रेवल डेस्क सुविधाओं के लिए पहुंच	डी	डी	एन	एन	एन		यह 1* से 3* होटलों के लिए ये परिसर में होना आवश्यक
लेफ्ट लगेज सुविधाएं	डी	डी	एन	एन	एन		यह एक ताले वाले कमरे/24 घंटे कर्मचारी क्षेत्र में होना चाहिए।
आपातकालीन सप्लाई टॉयलोट्रिस/फ्रस्ट एड किट का प्रावधान	डी	डी	एन	एन	एन		यह एक चार्जेबल मद हो सकती है।
स्वास्थ्य/फिटनेस सुविधाएं	डी	डी	डी	डी	एन		वरीय रूप से इण्डियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट भी प्रदान किया जाए।
ब्यूटी सेलून और बार्बर शॉप			डी	एन			

	1*	2*	3*	4*	5*, 5* -डी	हां/नहीं	टिप्पणियां
फ्लोरिस्ट				डी	डी		
शॉप/क्रियोस्क	डी	डी	डी	एन	एन		
मनी चेंजिंग सुविधाएं	डी	डी	डी	एन	एन		
बुक शॉप	डी	डी	डी	एन	एन		
<b>सुरक्षा एवं बचाव</b>							
फायर फाइटिंग ड्रिल में प्रशिक्षित स्टाफ	एन	एन	एन	एन	एन		तिमाही ड्रिल या नियमानुसार
सभी होटल प्रवेश द्वारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था	एन	एन	एन	एन	एन		
ताला और चाबी, व्यूपोट/पीपहोल एवं आंतरिक सुरक्षा डिवाइस के साथ फिट प्रत्येक बेडरूम डोर।			एन	एन	एन		व्यूपोट/पीपहोल के स्थान पर एक सुरक्षा चेन/विशबोन लेच स्वीकार्य।
सेफ कीपिंग सुविधाओं की उपलब्धता	एन	एन	एन	एन	एन		
स्मोक डिटेक्टर्स	एन	एन	एन	एन	एन		
कमरों में दरवाजे के पीछे फायर और आपातकालीन प्रक्रिया नोटिस प्रदर्शित किए जाएं।	एन	एन	एन	एन	एन		
फायर और आपातकालीन अलार्मों में विजुअल और ऑडिबल सिग्नल होने चाहिए।	एन	एन	एन	एन	एन		
फ्रंट डेस्क के साथ ऑवर दी मेडीसिन काउंटर के साथ फस्ट एड किट	एन	एन	एन	एन	एन		
<b>संचार सुविधाएं</b>							
कमरे में इनकमिंग और आउटगोइंग कॉलों के लिए एक टेलीफोन	डी	एन	एन	एन	एन		4*+ डायरेक्ट डायल और एसटीडी/आईएसडी सुविधाएं होनी चाहिए। 1*, 2* और 3* एक्सचेंज के माध्यम से चल सकते हैं।
इंटरनेट सुलभता के साथ अतिथि के प्रयोग के लिए पीसी की उपलब्धता	डी	डी	एन	एन	एन		यह एक पेड सर्विस हो सकती है। 3* तक पीसी कार्यपालक कार्यालयों में हो सकते हैं। स्थानीय सुलभता के साथ इंटरनेट उपलब्ध होना चाहिए।
ई मेल सेवा	डी	डी	एन	एन	एन		स्थानीय इंटरनेट सुलभता उपलब्ध होने की शर्त पर
फैक्स और फोटोकॉपी सेवाएं	एन	एन	एन	एन	एन		

	1*	2*	3*	4*	5*, 5* -डी	हां/नहीं	टिप्पणियां
बिजनेस सेंटर	डी	डी	डी	एन	एन		यह एक समर्पित क्षेत्र होना चाहिए। रिजॉर्ट गंतव्यों, पर्यटक एवं तीर्थ केंद्रों में इसमें छूट दी जा सकती है।
स्वीमिंग पूल			डी	डी	एन		पहाड़ी गंतव्यों के लिए इसमें छूट दी जा सकती है।
पार्किंग सुविधाएं	डी	डी	एन	एन	एन		कमरों की संख्या और बैक्विट/कन्वेंशन हॉल की क्षमताओं के संबंध में पर्याप्त होना चाहिए। अनन्य रूप से चिन्हित सुगम पार्किंग जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रवेश द्वार नजदीक के होनी चाहिए।
सम्मेलन सुविधाएं	डी	डी			डी		

**नोट:** डी वांछनीय, एन आवश्यक। टिप्पणी कॉलम में यथानिर्दिष्ट आवश्यक मानदंड में कोई छूट नहीं।